-20 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14-1-2020 को पेश हो।

रीडर

वकील उभयपक्ष उप० बाबत बहस T.I. प्रा० पत्र पत्रावली दि० 21-1-20 को पेश हो।

-1-20 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-2-2-20 को पेश हो।

रीडर

वकील उभयपक्ष उप० बाबत बहस T.I. प्रा० पत्र पत्रावली दि० 12-2-20 को पेश हो।

वकील उभयपक्ष उप०। T.I. प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। बाबत आदेश पत्रावली दि० 28-2-20 को पेश हो।

वकील उभयपक्ष उप०। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 12-3-2020 को पेश हो।

वकील उभयपक्ष उप०। T.I. प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपजिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
87/2011	24.10.2011	12-3-2020

1. रूमाली पुत्री बदरी पत्नी हेमराज, माली निवासी सलारपुर, गंगापुर सिटी
2. राजन्ती पुत्री बदरी पत्नी अमरसिंह, माली निवासी सलारपुर, गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

1. किशन पुत्र पून्या, माली निवासी जाट बडौदा, गंगापुर सिटी (मृतक)
2. हरिप्रसाद पुत्र किशन, माली निवासी जाट बडौदा, गंगापुर सिटी
3. रामकेश पुत्र हरिप्रसाद नाबालिग व विलायत खुद हरिप्रसाद, माली निवासी जाट बडौदा, गंगापुर सिटी
4. त्रिलोकी पुत्र हरिप्रसाद नाबालिग व विलायत खुद हरिप्रसाद, माली निवासी जाट बडौदा, गंगापुर सिटी
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र हरिप्रसाद, माली निवासी जाट बडौदा, गंगापुर सिटी
6. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री भानूकुमार सिंघल, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 मृतक पून्या पुत्र लौहडया के वंशज है। पून्या के एक लडका किशन तथा किशन के दो लडके बदरी तथा हरिप्रसाद पैदा हुए थे। बदरी के प्रार्थीगण रूमाली व राजन्ती दो पुत्रियॉं पैदा हुई और माता फूलवाई व पिता बदरी फौत हो चुके है। बदरी के प्रार्थीगण ही वारिस है। किशन के दूसरे लडके हरिप्रसाद के तीन लडके रामकेश, लक्ष्मीनारायण व त्रिलोकी पैदा हुए। प्रार्थीगण एवं अप्राथीगण संख्या 1 लगायत 5 हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है। उनकी पैतृक अविभाजित कृषि भूमि हॉल ख0न0 22 रकबा 1.02 है0, ख0न0 30 रकबा 0.11 है0 ख0न0 31 रकबा 1.70 है, ख0न0 34 रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 2.85 है0 स्थित ग्राम जाट बडौदा है। जो कि भूमि साबिक ख0न0 10, 7/1, 7/10, 7/2 से बने है और भूमि एकीकरण मे उक्त साबिक ख0न0 22, 23, 10, 11, 11/7, 11/2, 16, 29, 30, 31, 31/683 से बनाये गये है। उक्त भूमि मे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है और अप्रार्थी हरिप्रसाद, रामकेश, लक्ष्मीनारायण, त्रिलोकी का 1/2 हिस्सा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि को हडपना चाहते है। प्रार्थीगण की माता लाडवाई अपनी मृत्यु से पूर्व बीमार थी और अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की माता का इलाज नही करवाया था, प्रार्थीगण ने उसका ईलाज करवाया और लोकाचार से डर से बीमार को ही अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 जबरदस्ती ले गये तथा जिसके कारण प्रार्थीगण की माता का 29.2.2011 को बीमारी से देहान्त हो गया। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को घर आने नही देते व

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

माता से मिलने नही देते थे जिसके कारण उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के भरण पोषण का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था। फूलवाई की मृत्यु हो जाने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ने विवादित पूरी भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 26.7.11 को बिना प्रतिफल के अप्रार्थी किशन लाल ने अप्रार्थी रामकेश, त्रिलोकी, लक्ष्मीनारायण के नाम करा दी क्योकि गैरसायल किशन, हरिप्रसाद के पास ही रहता था और बदरी के सायलान के अलावा कोई वारिस नही था। दिनांक 26.7.11 को किशनलाल ने पूरी विवादित भूमि का बेचान किया, उसमे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्से की भूमि को विधि के विरूद्ध बेचान कर दिया जो प्रार्थीगण की पैतृक अविभाजित भूमि होने से प्रार्थीगण के विरूद्ध बेअसर है और बेचान एवइनीशियो बोईड है क्योकि प्रतिवादी किशन को प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से का बेचान करने का कोई अधिकार हासिल नही था। दिनांक 8.10.2011 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को भूमि का विभाजन कराने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण मारने को आमादा हो गये और कहा कि दुबारा बटवारे की बात करने मत आना और भूमि मे घुस गये तो जिन्दा नही छोडेगें। जब गॉव मे मालूम चला कि अप्रार्थी किशन ने दिनांक 26.7.11 को विवादित भूमि का बेचान बिना प्रतिफल के कर दिया एवं प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से को हडपने की नियत से अप्रार्थी रामकेश, त्रिलोकी व लक्ष्मीनारायण झगडे को आमादा है। प्रार्थीगण ने दिनांक 10.11.11 को तहसील मे जाकर मालूम कर दिनांक 26.7.11 को विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि निकलवाई। दिनांक 26.7.11 को बेचान प्रार्थीगण के विरूद्ध बेअसर व एनइनीशियो बोईड होने से नल एण्ड बोईड है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे ताफैसला दावा आराजी भूमि ख0न0 22 रकबा 1.02 है0, ख0न0 30 रकबा 0.11 है0, ख0न0 31 रकबा 1.70 है, ख0न0 34 रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 2.85 है0 स्थित ग्राम जाट बडौदा के प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग मे बाधा एवं अडचन नही करे एवं ताफैसला दावा विवादित भूमि के 1/2 हिस्से को रहन वय नही करे एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने अपने जबाब में प्रार्थीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि मृतक बदरी का स्वयं का कोई पुत्र नही था, इस कारण मृतक बदरी ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 20.3.2006 को लक्ष्मीनारायण पुत्र हरिप्रसाद को गोद ले लिया। दिनांक 20.3.06 को गोदनामा रामसहाय शर्मा से तहरीर कराकर अपने हस्ताक्षर कर दिये तथा उसकी पत्नी लाडबाई ने निशानी कर दी तथा गोदनामा तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ पंजीकृत करवा दिया। इस प्रकार लक्ष्मीनारायण मृतक बदरी का गोदपुत्र है। बदरी व लाडबाई के दाह संस्कार ब्राह्मण भोज लक्ष्मीनारायण ने ही किये है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने सजरा गलत पेश किया है और लक्ष्मीनारायण को हरिप्रसाद का पुत्र गलत बतलाया

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

है। प्रार्थीगण शादीशुदा महिलाये है जो अपने पति व बच्चो के साथ अपने ससुराल मे रहती है। विवादित भूमि अप्रार्थी किशन की तन्हा खातेदारी की भूमि रही है। प्रार्थीगण के पिता बदरी काफी समय पूर्व किशन से अपना हिस्सा लेकर अलग हो गये थे। विवादित भूमि मे उसका कोई हिस्सा नही रहा। अप्रार्थी हरिप्रसाद ही किशन के साथ रहकर उसकी भूमि को काश्त करता रहा व किशन की सेवा चाकरी करता रहा है। बदरी की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी कमाली के दो पुत्र एवं एक पुत्री का भात किशन ने दिया। अप्रार्थी किशन द्वारा यह भात उधार लेकर दिया था जिसके कारण किशन के उपर कर्जा हो गया था, उस कर्जे को चुकाने के लिए किशन ने उक्त भूमि का विक्रय किया था एवं कर्जे को चुकाया था। पक्षकारो का कोई संयुक्त हिन्दू परिवार कभी नही रहा। मु. लाडबाई का इलाज अप्रार्थीगण ने ही कराया था। उक्त भूमि मे अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा नही है। प्रार्थीगण शादीशुदा महिलाए है और विवाहित लडकिया अपने पिता या बाबा के संयुक्त हिन्दू परिवार की सदस्य नही होती है। पैतृक भूमि मे विवाहित महिलाओ का कोई हिस्सा नही होता है। बदरी का लक्ष्मीनारायण दत्तक पुत्र ही उसका वारिस है और उसकी मौजूदगी मे पुत्रियो का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण ने गोदनामे को कभी किसी न्यायालय मे चुनौती नही दी है और इस प्रकार यह गोदनामा पूरी तरह से बैध है। प्रार्थीगण ने विवादित भूमि को कभी काश्त नही किया है। विक्रय पत्र दिनांक 26.7.11 पूर्ण विक्रय राशि पन्द्रह लाख रूपये अदा कर तस्दीक हुआ है। भूमि के विक्रय एवं गोदनामे के समय प्रार्थीगण मौजूद थी। सारी कार्यवाही प्रार्थीगण की मौजूदगी मे हुई थी। अब गॉव वालो ने प्रार्थीगण के बहका रखा है इस कारण प्रार्थीगण ने यह दावा झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाझा मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाझा के समर्थन में प्रार्थीगण ने छायाप्रति पट्टा जयपुर गर्वेमेन्ट, छायाप्रति नकल जमाबंदी संवत 2067–70, छायाप्रति नकल खतौनी बंदोवस्त सवंत 2003–2022, छायाप्रति मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, छायाप्रति नकल जमाबंदी संवत 2025–2028, छायाप्रति नकल मिलान क्षेत्रफल मुरब्बा, छायाप्रति विक्रय पत्र दिनांक 26.7.2011 प्रस्तुत किये है।

जबाब के समर्थन मे अप्रार्थीगण ने छायाप्रति नकल विक्रय पत्र दिनांक 26.7.2011, छायाप्रति गोदपत्र दिनांक 20.03.2006, छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बदरीलाली, छायाप्रति नकल जमाबंदी संवत 2067–70 प्रस्तुत किये है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाझा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान के बुजुर्ग पून्या पुत्र किशन की खातेदारी की भूमि रही है जो प्रार्थीगण के बडे बाबा थे।इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। जिसमे प्रार्थीगण का जन्म से ही हिस्सा है। भूमि प्रार्थीगण के बाबा किशन के नाम दर्ज होने के कारण उन्होनें वादग्रस्त भूमि अपने पोते रामकेश, त्रिलोकी, लक्ष्मीनारायण को ही विक्रय कर दी। इस विक्रय

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

से प्रार्थीगण के अधिकारो पर कोई असर नही पडता है। मौके पर प्रार्थीगण का इनके हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है। इसलिए भूमि की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा है कि भूमि किशनलाल की खातेदारी की रही है। पैतृक होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। विक्रय पत्र विधि अनुसार हुआ है। इसे निरस्त कराये बिना प्रार्थीगण कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि विक्रय पत्र दिनांक 26.7.11 के अनुसार वर्तमान मे प्रतिवादी रामकेश पुत्र हरिप्रसाद, त्रिलोकी पुत्र हरिप्रसाद, लक्ष्मीनारायण दत्तक पुत्र बदरी की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त होना बताया है जबकि इस सम्बन्ध मे उन्होने कोई दस्तावेजी सबूत कब्जे का प्रस्तुत नही किया है। इसके विपरित वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया भूमि पर कब्जा अप्रार्थीगण का ही माना जावेगा। कब्जे के अभाव मे प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कब्जे के अभाव मे खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 12-3-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (राज.)

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.03.16 13:26:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: